न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
(बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिविजन संख्या:– 37 / 2017
दायर दिनांक :– 04.07..2017
निर्णय दिनांक :– 14.11.2017

अनवान

1. श्री ओम प्रकाश पिता श्री नन्दलाल मण्डोवरा निवासी कुरज हाल निवासी दहे गाम जिला गांधीनगर (गुजरात)
2. श्री राजमल पिता श्री नन्दलाल मण्डोवरा निवासी कुरज हाल निवासी दहे गाम जिला गांधीनगर (गुजरात)
3. श्री कैलाशचन्द्र पिता श्री नन्दलाल मण्डोवरा निवासी कुरज हाल निवासी दहे गाम जिला गांधीनगर (गुजरात)
4. श्री मुकेश पिता स्व0 हीरालाल मण्डोवरा निवासी कुरज हाल निवासी दहे गाम जिला गांधीनगर (गुजरात)
5. श्री मनीष पिता स्व0 हीरालाल मण्डोवरा निवासी कुरज हाल निवासी दहे गाम जिला गांधीनगर (गुजरात)

प्रार्थीगण / निगराकार

बनाम

1. श्री जगदीश पिता श्री नन्दलाल मण्डोवरा निवासी कुरज हाल निवासी दहे गाम जिला गांधीनगर (गुजरात)
2. ग्राम पंचायत कुरज जरिये सरपंच ग्राम पंचापयत कुरज पंचायत समिति रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

विपक्षीगण / गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 पटटा संख्या 100 दिनांक 20.06.2013 के विरूद्व निगरानी

उपस्थित :–

1–श्री अक्षय पालीवाल ,अधिवक्ता प्रार्थीगण / निगराकार
2–श्री डूंगरसिंह कर्णावट अधिवक्ता ,विपक्षीगण / गैर निगराकार

–:: निर्णय ::

प्रार्थी / निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका में निवेदन किया हैं कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत कुरज द्वारा जो पटटा जारी किया गया है वह मकान स्वीकृतरूप से नन्दलाल पिता चम्पालाल जी मण्डोवरा का हैं एवं नन्दलाल जी मण्डोवरा के निगराकार एवं गैरनिगराकार वारिस होकर उत्तराधिकारी है। उसके बावजूद ग्राम पंचायत कुरज ने ग्राम कुरज में स्थित मकान जिसके पुर्व में भगवतीलाल बद्रीलाल जी मण्डोवरा का मकान ,पश्चिम में शोभाराम जी अमरचन्द जी न्याति ,उत्तर में आम रास्ता एवं दक्षिण में सत्यनारायण शंकरलाल जी न्याति पडोसो के मध्य स्थित हैं के सम्बन्ध में आक्षेपित पटटा दिनांक 20.06.2013 को गैर निगराकार के पक्ष में जारी कर दिया गया है जो न्याय व विधि तथ्यों के विपरीत है। वादग्रस्त मकान पैतृक

मकान है। इस मकान में गैरनिगराकार जगदीशचन्द का अकेले का कोई हक अधिकार नही है। पैतृक मकान का गैरनिगराकार को अकेले को पटटा जारी करने से यह विवाद उत्पन्न हुआ है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पटटा न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होकर प्रथम दृष्टया ही काबिल निरस्त है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी के पक्ष में जारी पटटा संख्या 100 दिनांक 20.06.2013 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस सूचित किया गया एवं अधिनस्थ ग्राम पंचायत का रिकार्ड तलब किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण/निगराकार के अधिवक्ता द्वारा बहस में अवगत कराय कि अधिनस्त ग्राम पंचायत कुरज द्वारा जो पटटा जारी किया गया है वह मकान स्वीकृतरूप से नन्दलाल पिता चम्पालाल जी मण्डोवरा का हैं एवं नन्दलाल जी मण्डोवरा के निगराकार एवं गैरनिगराकार वारिस होकर 5 पुत्र उत्तराधिकारी है। उसके बावजूद ग्राम पंचायत कुरज ने ग्राम कुरज में स्थित मकान जिसके पुर्व में भगवतीलाल बद्रीलाल जी मण्डोवरा का मकान ,पश्चिम में शोभाराम जी अमरचन्द जी न्याति ,उत्तर में आम रास्ता एवं दक्षिण में सत्यनारायण शंकरलाल जी न्याति पडोसो के मध्य स्थित हैं के सम्बन्ध में आक्षेपित पटटा दिनांक 20.06.2013 को गैर निगराकार के पक्ष में जारी कर दिया गया है जो न्याय व विधि तथ्यों के विपरीत है। वादग्रस्त मकान पैतृक मकान है। इस मकान में गैरनिगराकार जगदीशचन्द का अकेले का कोई हक अधिकारी नही है न ही नन्दलाल जी ने जगदीश के पक्ष में कोई वसीयत नही है। गैर निगरागार ने यह सम्पत्ति स्वअर्जित होने के सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। जहां तक पटटे की पत्रावली में लगी वसीयत का प्रश्न हैं वह वसीयत स्व0 नन्दलाल जी ने कभी निष्पादित नहीं की है वे पढे लिखे व्यक्ति थे ग्राम कुरज के संरपच रहे थे,वे हस्ताक्षर करते थे उसके बावजूद तथाकथित वसीयतनामें पर नन्दलाल जी के कहीं हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में तथाकथित वसीयतनामें के आधार पर यदि ग्राम पंचायत ने गैरनिगराकार के पक्ष में पटटा जारी किया हैं जो विधि विरूद्व है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत को नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों की पालना में स्व0 नन्दलाल जी के अन्य वारिसों को भी सुनकर उन्हें सुनवाई का पर्याप्त एवं उचित अवसर देकर पटटे की पत्रावली का निस्तारण कराना था लेकिन अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या 1 से आपसी मिली भगत कर दुर्भिसंधि कर प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत कार्यवाही करते हुये निगराकार को पोशीदा रखकर आक्षेपित पटटा जारी किया है जिसका विधि की दृष्टि में कोई महत्व नही है। ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी करने से पूर्व मौका निरीक्षण हेतु कमेटी बनाकर मौका निरीक्षण करना होता है परन्तु इस पत्रावली में कोई कमेटी नहीं बनाई गई है। सरपंच ने अपने मिलने वाले वार्डपंचों से पत्रावली पर हस्ताक्षर करा खाना पूर्ति की है। इस पटटे के अस्तित्व में रहने से निगराकार के स्वत्व पर विपरित असर पड रहा है इसलिये इस पटटे को निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जावे ।

अंधिवक्ता विपक्षीगण/गैर निगराकार ने अपनी लिखित जबाव व बहस में अवगत कराया कि ग्राम पंचायत द्वारा जो आदेश दिया गया है वह न्याय संगत एवं कानून के अनुसार है। मकान श्री नन्दलाल पिता चम्पालाल जी मण्डोवरा का स्वअर्जित आय से बनाया हुआ है और उन्होने वसीयतनामा लिखकर नोटेरी से सत्यापित कराकर विपक्षी संख्या 1 को दिया है। श्री

नन्दलाल जी की मृत्यू के बाद विपक्षी संख्या 1 उक्त मकान का मालिक हो गया और उसी के कब्जे में है। जिसकी जांच करके ग्राम पंचायत कुरज द्वारा उक्त मकान का पटटा विपक्षी संख्या 1 के नाम जारी किया गया है। जो न्याय संगत है। वसीयतनामे के बारे में प्रार्थीगण ने सक्षम न्यायालय में दावा लगा रखा है ओर वह मामला सिविल कोर्ट में लम्बित है। जहां से अभी तक वसीयतनामे को अवैध घोषित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी सिविल न्यायालय में लम्बित मामले की विषय वस्तु के बारे में इस न्यायालय में आपत्ति उठाने की अधिकारिता नहीं रखता है। और यह मामला यहां चलने योग्य भी नहीं है। क्योंकि वसीयतनामा अकेले विपक्षी संख्या 1 के नाम पर था और प्रार्थीगण ने सक्षम न्यायालय में वैसे भी वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसका निर्णय ही अन्तिम होगा । प्रार्थी द्वारा पारिवारिक न्यायालय राजसमन्द में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. आदेश न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया जाता है। प्रथम दृष्टया विपक्षी के नाम पटटा जारी किये जाने में ग्राम पंचायत ने कोई भूल नहीं की है। तीन पंचो की कमेटी ऐसे मामलों में जांच करने के लिये नियुक्त करने का कोई प्रावधान नही है। जब पुराने कब्जे के आधार पर उसके वारिसान के नाम पर पटटा जारी किया जाता हैं तब जांच कराई जाती है। परन्तु यदि रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र ,दान पत्र के आधार पर या वसीयतनामा में जिसकी की रजिस्ट्री आवश्यक नहीं है, के आधार पर पटटा जारी किया जाता हैं तो उसके बारे में तीन पंचों की कमेटी नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है। अतः निगराकार की निगरानी अस्वीकार फरमाई जावे।

उभय पक्ष की व गैर निगराकार की बहस पर गहन मनन किया जाकर प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया । इस पटटे के सम्बन्ध में एक वाद माननीय सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निगराकार का खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में इस न्यायालय में पटटा निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कुरज द्वारा जारी किया गया पटटा बहाल रखा जाता है।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 14–11–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द